

00367

2011/10

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Signature

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम गणपतीहाखेडा की जमाबंदी सवत 2014-17 के खाता संख्या 88 में प्रार्थी

का नाम मिस्टर खा जाति मुसलमान दर्ज है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम मिस्टर उर्फ नूर मोह जाति मुसलमान दर्ज है। अतः उक्त खाते में प्रार्थी का नाम मिस्टर अं जाति मुसलमान के बजाय नाम मिस्टर उर्फ नूर मोह जाति मुसलमान दर्ज किया जाना उचित होगा।

Signature
सुरेश कुमार चौधरी
पटवारी प.म. 2-10/11/11
तह. *Signature* जिला-भीलवाडा
12/6/18
94
Signature

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जांचे पर के मिस्टर खा के बजाय मिस्टर अं के बजाय पर मिस्टर उर्फ नूर मोह नाम दर्ज किया जाना उचित है।

Signature
तहसीलदार

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

प्र.सं. 392/18

फूलियाकलां, जिला-भीलवाडा

कैम्प-सगावरी दिनांक- 12/6/18

एवं रिपोर्ट तहसीलदार (फूलिया) के नाम- गणपतीहाखेडा की जमाबंदी सवत 2014-2017 के खाता सं. 88 में दर्ज मिस्टर खा मुसलमान के बजाय मिस्टर उर्फ नूर मोह मुसलमान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पालनाथ- तहसीलदार फूलिया कलां के लिये हाई,

उपखण्ड अधिकारी

फूलिया कलां



Signature
उपखण्ड अधिकारी एवं